

देव स्वरूप
Dr. Dev Swarup

संयुक्त सचिव
Joint Secretary



दूरभाष PHONE कार्यालय OFF : 011-23231273

फैक्स FAX : 011-23231291

E-mail : dev@ugc.ac.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

बहादुर शाह ज़फर मार्ग,

नई दिल्ली-110 002 (भारत)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

BAHADUR SHAH ZAFAR MARG

NEW DELHI-110 002 (INDIA)

No.F.1-16/ 2009(CPP-II)

September, 2009

Registered

All Universities

12 OCT 2009

Subject: UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009.

Sir,

In continuation to this office letter of even no. dated 7th July, 2009 on the above subject, I am enclosing a copy of the UGC Regulations on curbing the menace of ragging in educational institutions, 2009 published in the Gazette of India dt.4th July,2009 in (i) English and (ii) Hindi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रेगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009 for your information and necessary action.

The above regulations are mandatory and shall apply to all Universities established or incorporated by or under a Central Act, a Provincial Act or a State/Union Territory Act and all Institutions recognised by or affiliated to such Universities and all Institutions deemed to be Universities under Section (3) of the UGC Act, 1956 with effect from 4th July, 2009 i.e. the date of its Publication in the official Gazette.


It is requested that these regulations may please be brought to the notice of the Colleges affiliated to your Universities/Institution.

Yours faithfully,

Dev Swarup

(Dev Swarup)
Joint Secretary

Encl: As above



o/c

Copy to:-

1. All States/ U.Ts Higher. Education Secretaries (List attached).
2. The Secretary, Govt. of India Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
3. Shri V. Umashankar, Director, Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi-110001
4. The Secretary, Association of Indian Universities (AIU), 16, Comrade Inderjit Gupta Marg (Kotla), New Delhi-110002
5. All Professional Councils.
6. Ps to Chairman/Ps to Vcm/Ps to Secretary, UGC, New Delhi
7. JS (Web site) UGC for posting on UGC website.
8. All Regional Offices, UGC.
9. Guard file

[Handwritten signature]
(V.K. Jaiswal)
Deputy Secretary
20.10.200
O/c

[Handwritten signature]
22/10/09



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 4—जुलाई 10, 2009 (आषाढ़ 13, 1931)

No. 27] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 4—JULY 10, 2009 (ASADHA 13, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 2009

सं. एन-15/13/14/8/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र

उत्तमपालयम

जिला तेनी तालुक उत्तमपालयम के राजस्व गाँव

उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी

उत्तमपालयम (दक्षिण), उत्तमपालयम (उत्तर), रायप्पनपट्टी, मल्लिंगपुरम्, कोहिलापुरम्, कोम्बै (पूर्व), कोम्बै (पश्चिम) तथा हनुमंथन पट्टी।

आर. सी. शर्मा
संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 10 जून 2009

सं. एन-15/13/14/6/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

कंबम उत्तमपालयम जिला तेनी

बढ़ते हुए निम्नलिखित क्षेत्र/तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक के कंबम नगरपालिका क्षेत्र

2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव

कामयकउण्डनपट्टी, नारायनतेवनपट्टी (दक्षिण), नारायनतेवनपट्टी (उत्तर)

उत्तमपुरम और सी. पुदुपट्टी

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/2/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

शिवागरी जिला में

देवकोट्टी तालुक के कारैकुडी उपनगरों

परेट्टकोट्टे

आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव.....

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/10/2/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा उड़ीसा कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1957 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ उड़ीसा राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'डैकानाल जिला के डैकानाल तहसील में नरेन्द्रपुर शिबपुर, वुरुंटी, खडग प्रसाद, तूलसीदिह एवं निमिधा के राजस्व गाँव।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

सं. एन-15/13/14/10/2009-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में

महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

तुतुकोरिन जिला के पुदुक्कोट्टै क्षेत्र

1. मरवनमडम
2. कूत्तलुंगाडु
3. अल्लिकुलम
4. कुमरगिरी
5. साउत सिलुककानपट्टी
6. सेवैक्कडमडम
7. पेस्वरणी
8. सेतिलम्पणै आदि के अन्तर्गत आने वाले राजस्व गाँव.....

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं व.)

दिनांक 12 जून 2009

सं. एन-15/13/1/10/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा आन्ध्र प्रदेश कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1955 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ आन्ध्र प्रदेश राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

'आन्ध्र प्रदेश राज्य के महबूबनगर जिले के फारूखनगर मण्डल में स्थित वेलजर्ला-1, 2, 3, और 'केशमपेट' मण्डल में स्थित 'थापीरेड्डीगुडा' के राजस्व ग्रामों की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी क्षेत्र।'

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

सं. एन-15/13/14/7/2008-यो. व वि.--(2) कर्मचारी राज्य बीमा (सामान्य) विनियम--1950 के विनियम 95-क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, (1948 का 34) की धारा-46 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महानिदेशक ने 1 मई, 2009 ऐसी तारीख के रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम-95-क तथा तमिलनाडु कर्मचारी राज्य बीमा निगम-1954 में निर्दिष्ट चिकित्सा हितलाभ तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जाएंगे, अर्थात्

केन्द्र

चिन्नमनूर

निम्नलिखित बढ़ते हुए क्षेत्र तेनी जिले के राजस्व गाँव

1. उत्तमपालयम तालुक का चिन्नमनूर नगरपालिका क्षेत्र
2. उत्तमपालयम तालुक जिला तेनी के राजस्व गाँव, पूलानन्तापुरम, करुंकाट्टनवुलम चिन्नावेलापुरम मुत्तलापुरम, मरकायनकोट्टै, पुलिकुत्ति, कुच्चानुर, ओडैपट्टी।

आर. सी. शर्मा

संयुक्त निदेशक (यो. एवं वि.)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से सम्बन्धित विश्वविद्यालय
अनुदान आयोग के अधिनियम, 2009

(विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 धारा 26 (1) (जी) के अन्तर्गत)

नई दिल्ली-110002, दिनांक 17 जून 2009

मि०सं० 1-16/2007(सी.पी.पी.-II)

उद्देशिका

माननीय उच्चतम न्यायालय के केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल प्रिंसिपल कॉलेज तथा अन्य, एस०एल.पी० सं० 24295, 2006 के 16-5-2007 तथा दिनांक 08-5-2009, सिविल अपील नं. 887 से प्राप्त निर्देशों तथा केन्द्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग निषेध तथा रैगिंग रोकने के संकल्प को ध्यान में रखते हुए। छात्र अथवा छात्रों द्वारा मौखिक शब्दों अथवा लिखित कार्य द्वारा नए अथवा अन्य छात्र को उत्पीड़न, दुर्व्यवहार, छात्र को उत्पात अथवा अनुशासनहीनता की गतिविधियों में संलिप्त करना जिससे नए अथवा किसी अन्य छात्र को कष्ट, परेशानी, कठिनाई अथवा मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा उसमें भय की भावना उत्पन्न हो अथवा नए या अन्य किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में करे तथा जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो अथवा घबराहट हो जिससे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से किसी छात्र पर दुष्प्रभाव पड़े अथवा कोई छात्र नए अथवा अन्य छात्र पर शक्ति प्रदर्शन करें। देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में समुचित विकास हेतु शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अन्य समितियों से विचार विमर्श के पश्चात् ये अधिनियम बनाता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 26 उप खण्ड (जी) उपखण्ड (1) के अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्नलिखित अधिनियम बनाता है, जिसका नाम है—

1. शीर्षक, प्रारम्भ और प्रयोज्यता

- 1.1 ये अधिनियम "विश्वविद्यालय अनुदान के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के अधिनियम, 2009" कहे जाएँगे।
- 1.2 ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की धारा (2) उपखंड (एफ) के अनुसार / विश्वविद्यालय की परिभाषा के अन्तर्गत आनेवाली सभी संस्थाओं तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 3 के अनुसार सभी डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा अन्य सभी उच्चतर शिक्षा संस्थाओं तथा इस प्रकार के विश्वविद्यालय के सम्बन्धित तत्वों से युक्त संस्थाओं, विभागों, इकाइयों तथा अन्य सभी शैक्षिक, आवासीय, खेल के मैदान, जलपान गृह तथा विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं चाहे वे परिसर के भीतर हों अथवा बहार तथा छात्रों के सभी प्रकार के परिवहन चाहे वे सरकारी हों अथवा निजी छात्रों द्वारा इस प्रकार के विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।

2. उद्देश्य

किसी छात्र अथवा छात्रों के द्वारा दूसरों को मौखिक अथवा लिखित शब्दों द्वारा प्रताड़ित करना, उसे छेड़ना किसी नए छात्र के साथ दुर्व्यवहार करना अथवा उसे अनुशासनहीन गतिविधियों में लगाना जिससे आक्रोश, कठिनाई, मनोवैज्ञानिक हानि हो अथवा किसी नए अथवा अन्य किसी छात्र में भय की भावना उत्पन्न हो अथवा किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में नहीं करे अथवा ऐसा कार्य कराना जिससे उसमें लज्जा की भावना उत्पन्न हो, पीड़ा हो घबराहट हो अथवा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दुष्प्रभाव पड़े अथवा शक्ति प्रदर्शन करना अथवा किसी छात्र का वरिष्ठ होने के कारण शोषण करना। अतः सभी विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों तथा देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में इन अधिनियम के अन्तर्गत रैगिंग रोकना। इस तरह की घटनाओं में संलिप्त व्यक्तियों को इन अधिनियम तथा विधि के अनुसार दण्डित करना।

3. रैगिंग कैसे होती है—

निम्नलिखित कोई एक अथवा अनेक कार्य रैगिंग के अन्तर्गत आएँगे—

- क किसी छात्र अथवा छात्रों द्वारा नए आनेवाले छात्र का मौखिक शब्दों अथवा लिखित वाणी द्वारा उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार करना।
- ख छात्र अथवा छात्रों द्वारा उत्पात करना अथवा अनुशासनहीनता का वातावरण बनाना जिससे नए छात्र को कष्ट, आक्रोश, कठिनाई, शारीरिक अथवा मानसिक पीड़ा हो।
- ग किसी छात्र से ऐसे कार्य को करने के लिए कहना जो वह सामान्य स्थिति में न करे तथा जिससे नए छात्र में लज्जा, पीड़ा, अथवा भय की भावना उत्पन्न हो।
- घ परिष्क छात्र द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जो किसी अन्य अथवा नए छात्र के चलते हुए शैक्षिक कार्य में बाधा पहुँचाए।
- ङ नए अथवा किसी अन्य छात्र का दूसरों को दिए गए शैक्षिक कार्य को करने हेतु बाध्य कर शोषण करना।
- च नए छात्र का किसी भी प्रकार से आर्थिक शोषण करना।
- छ शारीरिक शोषण का कोई भी कार्य/किसी भी प्रकार का यौन शोषण, समलैंगिक प्रहार, नंगा करना, अश्लील तथा काम सम्बन्धी कार्य हेतु विवश करना, अंग चालन द्वारा बुरे भावों की अभिव्यक्ति करना, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट जिससे किसी व्यक्ति अथवा उसके स्वास्थ्य को हानि पहुँचे।
- ज मौखिक शब्दों द्वारा किसी को गाली देना, ई-मेल, डाक, पब्लिकली किसी को अपमानित करना, किसी को कुमार्ग मार्ग पर ले जाना, स्थानापन्न अथवा कष्टदाय देना या सनसनी पैदा करना जिससे नए छात्र को घबराहट हो।
- झ कोई कार्य जिससे नए छात्र के मन मस्तिष्क अथवा आत्मविश्वास पर दुष्प्रभाव पड़े। नए अथवा किसी छात्र को कुमार्ग पर ले लाना तथा उस पर किसी प्रकार की प्रभुता दिखाना।

4. परिभाषाएँ

- 1 इन अधिनियमों में जब तक कि कोई अन्य संदर्भ न हो।
- क अधिनियम का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956/3) है।
- ख शैक्षिक वर्ष का तात्पर्य किसी संस्था में किसी छात्र का किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश तथा उस वर्ष की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति है।
- ग रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन का तात्पर्य इन अधिनियमों के अधिनियम 8.1 की धारा (ए) है।
- घ आयोग का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है।
- ङ समिति (कौंसिल) का तात्पर्य संसद अथवा राज्य के विधानमंडल द्वारा नियमित उच्चतर शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में सहयोग तथा स्तर बनाए रखने हेतु गठित समिति है। यथा आल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्नीकल एजुकेशन (ए.आई.सी.टी.ई.) बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बी.सी.आई.) डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डी.सी.आई.) डेन्टिस एजुकेशन काउंसिल (डी.ई.सी.) दी इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइ.सी.ए.आर.) इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आई.एन.सी.) मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एन.सी.टी.ई.) प्राइमरी काउंसिल ऑफ इंडिया (पी.सी. आई.) इत्यादि तथा राज्यों के उच्चतर शिक्षा काउंसिल इत्यादि।
- च जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में राज्य सरकार द्वारा रैगिंग रोकने के लिए जिले की परिसीमा में गठित समिति है।
- छ संस्थाध्यक्ष का तात्पर्य विश्वविद्यालय अथवा डीम्ड विश्वविद्यालयों हेतु कुलपति अथवा किसी संस्था का निदेशक, कॉलेज का प्राचार्य सम्बन्धित का कार्यकारी अध्यक्ष है।
- ज "फ़ेशर" से तात्पर्य वह छात्र है जिसका प्रवेश किसी संस्था में हो गया है तथा उस संस्था में उसकी पढ़ाई का प्रथम वर्ष चल रहा है।

- अ संस्था का तात्पर्य वह उच्चतर शिक्षण संस्था है जो चाहे विश्वविद्यालय हो डीम्ड विश्वविद्यालय हो, कॉलेज अथवा राष्ट्रीय महत्व की कोई संस्थान हो जिसकी रचना संसद के अधिनियम के अनुसार की गई हो। इसमें 12 वर्ष स्कूल की शिक्षा के बाद की शिक्षा दी जाती हो कोई आवश्यक नहीं है कि उसमें चरम सीमा तक उपाधि दी जाती हो। स्नातक/स्नातकोत्तर तथा उच्चतर स्तर अथवा विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र की।
- ब एन.ए.ए.सी. का तात्पर्य आयोग द्वारा अधिनियम की 12(सी.सी.सी.) के अनुसार स्थापित नेशनल एकेडमिक एंड ऐफिडिटेशन काउंसिल है।
- ट राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग सेल का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा विधि के अनुसार अथवा केन्द्र सरकार की सलाह पर रैगिंग रोकने के लिए बनाया गया निकाय है। जिसका कार्यक्षेत्र राज्य तक होगा।
- 2 शब्द तथा अभिव्यक्ति को यहाँ स्पष्ट नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम अथवा अधिनियम के सामान्य खण्ड 1887 वही अर्थ होगा जो उसमें दिया गया है।

5. संस्था स्तर पर रैगिंग निषेध के उपाय—

- क कोई भी संस्था अथवा उसका कोई भाग, उसके तत्वों सहित केवल विभागों तक नहीं उसकी संघ तक ईकाई, कॉलेज, शिक्षण केन्द्र, उसके भू-गृह चाहे वे शैक्षिक, आवासीय खेल के मैदान अथवा जलपान गृह आदि चाहे वे विश्वविद्यालय परिसर में हो अथवा बाहर, सभी प्रकार के परिवहन, या निजी सभी में रैगिंग रोकने हेतु इन विनियमों के अनुसार तथा अन्य सभी आवश्यक उपाय करेंगे। रिपोर्ट होने पर रैगिंग की किसी भी घटना को दबाया नहीं जाएगा।
- ख सभी संस्थाएं रैगिंग के प्रचार, रैगिंग में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध इन विनियम के अनुसार कार्रवाई करेंगे।
6. संस्था स्तर पर रैगिंग रोकने के उपाय
- 5.1 छात्रों के प्रवेश अथवा पंजीकरण के संदर्भ में संस्था निम्नलिखित कदम उठाए।
- क संस्था द्वारा जारी इलेक्ट्रानिक दृश्य, श्रव्य अथवा प्रिन्ट मीडिया के छात्र को

प्रवेश संबंधी घोषणा में यही बताया जाए कि संस्था में रैगिंग पूर्णता: निषेध है। यदि कोई रैगिंग करने अथवा उसके प्रचार का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाया गया अथवा रैगिंग प्रचार के षडयंत्र में दोषी पाया गया तो उसे इन विनियम तथा देश के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा।

ख प्रवेश की पुस्तिका के निर्देश पुस्तक तथा विवरण पत्रिका चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक हो अथवा मुद्रित उनमें ये विनियम विस्तार से छापे जाएँ। प्रवेश पुस्तिका का निर्देश पुस्तिका विवरण पत्रिका में यह भी मुद्रित किया जाए कि रैगिंग होने या संस्था के अध्यक्ष इसके साथ संस्थाध्यक्ष, संकाय सदस्य रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों, रैगिंग विरोधी दस्तों के सदस्यों अथवा जिले के अधिकारियों, वार्डनों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों के दूरभाष नम्बर प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका अथवा विवरण पत्रिका में विस्तार से छापे जाएँ।

ग जहाँ कोई संस्था किसी विश्वविद्यालय से संबंध है वहाँ विश्वविद्यालय यह निश्चित कर ले कि प्रवेश पुस्तिका, निर्देश पुस्तिका यह विवरण पत्रिका प्रकाशित करें तो यह विनियम के विनियम 6.1 के खण्ड (ए) और खण्ड (बी) का अनुपालन करें।

घ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र आवश्यक रूप से अंग्रेजी और हिन्दी/अभ्यर्थी की ज्ञात किसी एक प्रादेशिक भाषा में इन विनियम के संलग्नक 1 के अनुसार अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए तथा हस्ताक्षर किया जाए कि उसने किसी अधिनियम के नियमों के पढ़ लिया है तथा इन विनियम के नियमों तथा विनियम के नियमों तथा विधि को समझ लिया है तथा वह रैगिंग निषेध तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानता/जानती है। वह यह घोषणा करता/करती है कि उसे किसी संस्था द्वारा निष्कासित/निकाला नहीं गया है। साथ ही वह रैगिंग संबंधी किसी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा/होगी और यदि वह रैगिंग करने अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण का दोषी पाया/पायी गई तो उसे इन विनियम तथा विधि के अनुसार दंडित किया जा सकता है और वह दंड केवल निष्कासन तक सीमिति नहीं होगा।

ङ प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र, नामांकन अथवा पंजीकरण में एक शपथ पत्र अंग्रेजी

और हिन्दी तथा किसी एक प्रादेशिक भाषा या हिन्दी भाषा में इन विनियमों के साथ संलग्नक हैं। अभ्यर्थी के माता-पिता अभिभावक की ओर से दिया जाए कि उन्होंने रैगिंग के अधिनियम को पढ़ लिया है तथा समझ लिया है तथा रैगिंग रोकने संबंधित अन्य कानून को वो जानते हैं तथा इसके लिए निर्धारित दंड को जानते हैं। वे घोषणा करते हैं कि उनका वार्ड किसी संस्था द्वारा निष्कासित नहीं किया गया है और न ही निकाला गया है तथा उनका वार्ड रैगिंग से सम्बन्धित किसी कार्य में प्रत्यक्ष/परोक्ष अथवा रैगिंग के दुष्प्रेरण में भाग नहीं लेगा और यदि वह इसका दोषी पाया गया तो उनको इन विनियम तथा कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। यह दंड केवल निष्कासन तक सीमित नहीं होगा।

- च प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र के साथ स्कूल लीविंग/स्थानांतरण प्रमाण-पत्र/प्रवास प्रमाण-पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र हो जिसमें छात्र के व्यक्तिगत तथा समाजिक व्यवहार की जानकारी दी गई हो ताकि संस्था इसके बाद उस पर नजर रख सके।
- छ संस्था के/संस्था द्वारा व्यवस्थित व्यवस्था किए गए छात्रावास की प्रार्थना करने वाले छात्र को प्रार्थना पत्र के साथ एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा। शपथ पत्र पर उसके माता/पिता/अभिभावक के भी हस्ताक्षर होंगे।
- ज किसी भी संस्था में शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व संस्था अध्यक्ष विभिन्न अधिकारियों/अभिकरणों जैसे छात्रपाल (वार्डेन) छात्र प्रतिनिधि, छात्रों के माता-पिता अभिभावक, जिला प्रशासन पुलिस आदि की मीटिंग आयोजित करे तथा रैगिंग रोकने के उपयों और उसमें संलिप्त अथवा उसका दुष्परिणाम करने वालों को चिन्हित कर दण्डित करने पर विचार-विमर्श हेतु उसे सम्बोधित करें।
- झ समुदाय विशेष रूप से छात्रों को रैगिंग के अमानवीय प्रभाव के संदर्भ में जागृत करने हेतु तथा संस्था उसके प्रति रवैये से अवगत कराने हेतु बड़े पोस्टर (वरीयता से बहुरंगी) नियम विधि तथा दंड हेतु छात्रावास, विभागों तथा अन्य भवनों के सूचना पट्ट पर लगाया जाए। उनमें से कुछ पोस्टर स्थायी रूप के हों जिन स्थानों पर छात्र एकत्र होते हैं वहां रैगिंग का आघात किए

- जाने योग्य स्थानों पर विशेष रूप से ऐसे पोस्टर लगाए जाएँ।
- ज संस्था मीडिया से यह अनुरोध करे कि वह रैगिंग रोकने के नियमों का प्रचार-प्रसार करे। संस्था के रोकने और उसमें लिप्त पाए जाने पर बिना भेद-भाव एवं शय के दण्डित करने के नियम प्रचार करें।
- ट संस्था द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों को समझाया जाए तथा असुरक्षित स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। संस्था द्वारा परिसर में विषम समय तथा शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए तथा रैगिंग किए जाने योग्य स्थानों पर दृष्टि रखी जाए। पुलिस, रैगिंग विरोधी सचल दल तथा स्वयं सेवी (यदि कोई हो) व्यक्तियों से इसमें सहायता ली जाए।
- ठ संस्था अवकाश के समय को नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ से पूर्व रैगिंग के विरुद्ध संगोष्ठी, पोस्टर, पत्रिका, नुक्कड़ नाटक आदि के द्वारा प्रचार करें।
- ड संस्था के विभिन्न तंत्र संकाय/विभाग/इकाई आदि।
- ढ संस्था के संकाय/विभाग/इकाई आदि छात्रों की विशेष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान कर निवारण करें तथा शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व रैगिंग निषेध संबंधी अधिनियम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए विधिवत् प्रबन्ध करें।
- ण प्रत्येक संस्था अकादमिक सत्र प्रारम्भ होने से पहले पेशेवर काउंसिलरों की सेवा अथवा सहायता ले और वे शैक्षिक वर्ष प्रारम्भ होने के बाद भी नए तथा अन्य छात्रों की काउंसिलिंग के लिए उपलब्ध हों।
- त संस्थाध्यक्ष स्थानीय पुलिस तथा अधिकारियों को वित्तीय आधार पर प्रबन्ध किए गए छात्रावास तथा निवास हेतु प्रयोग किये जा रहे भवन के संबन्ध में विस्तृत जानकारी दें। संस्थाध्यक्ष यह भी सुनिश्चित करें कि रैगिंग विरोधी दल ऐसे स्थानों पर रैगिंग रोकने हेतु चौकसी रखें।
- 6.2 छात्रों का प्रवेश, नामांकन अथवा पंजीकरण होने पर निम्नलिखित कदम उठाए, जिसका नाम इस प्रकार है—
- क संस्था में प्रवेश दिए गए प्रत्येक छात्र को एक मुद्रित पर्णिका दी जाए जिसमें यह बताया गया हो कि उसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किससे निर्देशन प्राप्त करना

है। इसमें विभिन्न अधिकारियों के दूरभाष नं० तथा पते भी दिए जाएँ ताकि आवश्यकता पड़ने पर छात्र किसी भी संबंधित व्यक्ति से तुरन्त संपर्क करें। इन विनियम में संदर्भित रैगिंग विरोधी हैल्पलाईन, वार्डन, संस्थाध्यक्ष तथा रैगिंग विरोधी समिति तथा दल के सदस्यों तथा संबंधित जिले तथा पुलिस के अधिकारियों के पते और दूरभाष नं० विशेष रूप से समाहित किए जाएँ।

- ख संस्था इन विनियम के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देश दिए गये हैं। प्रबंधक को नए छात्रों को दी जानेवाली पर्णिका द्वारा स्पष्ट करें तथा उन्हें अन्य छात्रों से भलीभाँति परिचित कराने हेतु कार्य करें।
- ग इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका द्वारा नए छात्रों को संस्था के बोनाफाइड स्टूडेंट के रूप में उनके अधिकार भी बताएँ जाएँ। उन्हें यह भी बताया जाए कि वे अपनी इच्छा के बिना किसी का कोई कार्य न करें चाहे उनके लिए उनके वरिष्ठ छात्रों ने कहा हो तथा रैगिंग के प्रयास के सूचना तुरन्त रैगिंग विरोधी दल, वार्डन अथवा संस्थाध्यक्ष को दे दें।
- घ इन विनियमों के विनियम 6.2 खण्ड (ए) में निर्देशित पर्णिका में संस्था में मनाएँ जानेवाले विभिन्न कार्यक्रमों तथा गतिविधियों की तिथि दी हो ताकि नए छात्र संस्था के शैक्षिक परिवेश एवं वातावरण से परिचित हो सकें।
- ङ वरिष्ठ छात्रों के आने पर संस्थान प्रथम अथवा द्वितीय सप्ताह के बाद जैसा भी हो अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करें जिनका नाम — (i) संयुक्त सैसेटाइजेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ और कनिष्ठ छात्रों की काउंसिलिंग व्यावसायिक क्वाउन्सर के साथ खण्ड — 6.1 नियम के विनियम के अनुसार करे (ii) नये और पुराने छात्रों को संयुक्त अभिविन्यास कार्यक्रम को संस्था तथा रैगिंग विरोधी समिति सम्बोधित करे (iii) संकाय सदस्यों की उपस्थिति में नये और पुराने छात्रों के परिचय हेतु अधिकाधिक, सांस्कृतिक खेल तथा अन्य प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जाये (iv) छात्रावास में वार्डन सभी छात्रों को सम्बोधित करे तथा अपने दो (2) कनिष्ठ सहयोगियों से कुछ समय तक सहयोग देने हेतु निवेदन करे (v) जहाँ तक संभव हो संकाय-सदस्य हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के साथ भोजन भी करे ताकि नये छात्रों में आत्मविश्वास

- का भाव उत्पन्न हो।
- च संस्था समुचित समितियों का गठन करे। कोर्स इंचार्ज, वार्डन तथा कुछ वरिष्ठ छात्र इन समितियों के सदस्य हों। यह समिति नये और पुराने छात्रों के बीच सम्बंध सुदृढ़ बनाने में सहयोग दे।
- छ नये अथवा अन्य छात्र चाहे वे रैगिंग के भोगी हों अथवा रैगिंग होते हुए उन्होंने दोषी बने देखा हो उन्हें ऐसी घटनाओं की सूचना देने हेतु उत्साहित किया जाए ताकि उनकी पहचान सुरक्षित रखी जाए और ऐसी घटनाओं की सूचना देने वालों को किसी दुष्परिणाम से बचाया जाए।
- ज संस्था में आने पर नये छात्रों के प्रत्येक बैच को छोटे-छोटे वर्गों में बांट दिया जाए और ऐसा प्रत्येक वर्ग किसी एक संकाय सदस्य को दे दिया जाए जो स्वयं वर्ग ग्रुप के सभी सदस्यों से परिचित हो और यह देखे कि नये छात्रों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो यदि हो तो उसका समाधान करने में उचित सहायता करे।
- झ इस प्रकार की समिति के संकाय सदस्य का यह दायित्व होगा कि वार्डनों को सहयोग दे तथा छात्रावास में औचक निरीक्षण करते रहें। जहाँ संकाय सदस्य की अपने अधीन छात्रों की डायरी मन्टेन करें।
- ञ नये छात्रों को अलग छात्रावास में रखा जाये और जहाँ इस प्रकार की सुविधायें न हों वहाँ संस्था यह सुनिश्चित करे कि नये छात्रों को दिये गये निवास स्थानों पर वार्डन तथा सुरक्षा गार्ड और कर्मचारी कड़ी निगरानी रखें।
- ट संस्था 24 घंटे छात्रावास परिसर में रैगिंग रोकने के लिए कड़ी नजर रखने का प्रबन्ध करे।
- ठ नये छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों का यह दायित्व होगा कि रैगिंग से सम्बन्धित सूचना संस्था-अध्यक्ष को प्रदान करें।
- ड प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र जो संस्था में पढ़ रहा हो। वह और उसके माता-पिता/अभिभावक प्रवेश के समय निर्देशित शपथ पत्र दे जैसा कि विनियम के विनियम 6.1 खण्ड (डी) (ई) और (जी) के अनुसार दिया जाना। प्रत्येक शैक्षिक वर्ष में चाहिए।

- द प्रत्येक संस्था विनियम (6.2) खण्ड -- एल के सन्दर्भ अनुसार प्रत्येक छात्र से शपथ पत्र ले और उनका उचित रिकार्ड रखे। प्रतिलिपियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित रखे ताकि जब आवश्यकता हो कमीशन अथवा कोई संकलित अथवा संस्था अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य सक्षम व्यक्ति अथवा/संघटन द्वारा उन्हें प्राप्त किया जा सके।
- ण प्रत्येक छात्र/छात्रा अपने पंजीकरण के समय संस्था को अपनी पढ़ाई करते समय निवास स्थान की सूचना दे यदि उसका निवास स्थान तय नहीं किया है या वह अपने निवास बदलना चाहता/चाहती है तो उसका निश्चय होती ही विस्तृत जानकारी उपलब्ध करायी जाए और विशेष रूप से निजी खर्च पर व्यक्ति किये गये भवनों अथवा छात्रावासों की जहां वह रह रहा है/रही है।
- ण आयोग शपथ पत्रों के आधार पर एक उचित आंकड़ा बनाये रखे जो प्रत्येक छात्र और उसके माता/पिता/अभिभावक द्वारा संस्था को उपलब्ध कराया गया हो। इस प्रकार का आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उसके बाद की गयी कार्यवाही का रिकार्ड भी रखे।
- त आयोग द्वारा आंकड़ा गैर सरकारी निकाय जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया गया हो को उपलब्ध कराया जाये इससे आम जनता में विश्वास तथा समिति के आदेश का अनुपालन न करने की सूचना दी जा सके।
- थ प्रत्येक शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर संस्थाध्यक्ष प्रथम वर्ष पूर्ण करनेवाले छात्रों के माता-पिता/अभिभावकों को रैगिंग से सम्बन्धित विधि और जानकारी से सम्बन्धित पत्र भेजे तथा उनसे अनुरोध करें कि नए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में वापस आने पर उनके स्वयं बालक रैगिंग से सम्बन्धित किसी गतिविधि में भाग न लें।

- 6.3 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित नामों से समितियाँ गठित करें।
- क प्रत्येक संस्था एक समिति बनाए जिसे रैगिंग विरोधी समिति (एंटी रैगिंग कमेटी) कहा जाए। समिति की अध्यक्षता संस्थाध्यक्ष करें तथा समिति के सदस्यों को वे ही नामांकित करें। इसमें पुलिस तथा नागरिक प्रशासन के प्रतिनिधि भी हो। स्थानीय मीडिया युवा गतिविधियों से जुड़े गैर सरकारी संघटक संकाय सदस्यों के प्रतिनिधि, माता-पिता में से प्रतिनिधि, नए तथा पुराने छात्रों के प्रतिनिधि, शिक्षणेत्र कर्मचारी तथा विभिन्न वर्गों से प्रतिनिधि समिति में से लिंग के आधार पर इस समिति में स्त्री पुरुष दोनों हों।
- ख रैगिंग विरोधी समिति का कर्तव्य होगा कि वह इन विनियम प्रावधान तथा रैगिंग से सम्बन्धित कानून का अनुपालन कराए तथा रैगिंग विरोधी दल के रैगिंग रोकने सम्बन्धी कार्यों को भी देखे।
- ग प्रत्येक संस्था एक छोटी समिति का भी गठन करे जिसे रैगिंग विरोधी (एंटी रैगिंग स्वचैड) नाम से जाना जाए। इसे भी संस्थाध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए। यह समिति सज्ज रहने तथा हर समय पैटरॉलिंग और गतिशील बनी रहने हेतु तत्पर रहे।
- रैगिंग विरोधी दल/स्वचैड में कैम्पस के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व हो। इसमें परिसर से बाहर के व्यक्ति नहीं होंगे।
- घ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह छात्रावास तथा रैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील अन्य स्थानों का घटना की औचक निरीक्षण करें।
- ङ रैगिंग विरोधी दल का यह दायित्व होगा कि वह संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य किसी संकाय सदस्य अथवा किसी कर्मचारी अथवा किसी छात्र अथवा किसी माता-पिता अथवा अभिभावक द्वारा सूचित की गई रैगिंग की घटना की जाँच घटना स्थल पर जाकर करे तथा जाँच की रिपोर्ट संस्तुति सहित रैगिंग विरोधी समिति को विनियम 9.1 उपखण्ड (ए) के अनुसार कार्रवाई हेतु सौंपे।

रैगिंग विरोधी दल इस प्रकार की जाँच निष्पक्ष एवं पारदर्शी विधि से करे तथा सामान्य न्याय का पालन किया जाए। रैगिंग के दोषी पाए जानेवाले

छात्र/छात्रों तथा गवाहों को पूरा अवसर देने तथा तथ्य एवं प्रमाण आदि देखने के बाद इसकी सूचना प्रेषित की जाए।

6.3 प्रत्येक संस्था शैक्षिक वर्ष पूर्ण होने पर इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु एक मॉनिटरिंग सेल बनाए जिसमें नए छात्रों को मॉनेटर करनेवाले स्वयंसेवी छात्र हों। नए छात्रों पर एक मॉनेटर होना चाहिए।

छ प्रत्येक विश्वविद्यालय, एक समिति का गठन करे जिसे रैगिंग के मॉनिटरिंग सेल के रूप में जाना जाए, जो उस संस्था अथवा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कॉलेजों में इन विनियम के उद्देश्य प्राप्त करने हेतु सहयोग दें। मॉनिटरिंग सेल संस्थाध्यक्षों रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल से रैगिंग गतिविधियों की सूचना प्राप्त कर सकता है। वह जिलाधिकारी को अध्यक्षता में गठित/जनपद स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति के सम्पर्क में रहे।

ज मॉनिटरिंग सेल; संस्था द्वारा किए जा रहे रैगिंग विरोधी उपायों का भी मूल्यांकन करेगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा प्रत्येक वर्ष में दिए गए शपथ पत्र तथा रैगिंग के नियम तोड़ने पर दण्डित किए जाने हेतु उनकी सहमति की भी जांच करेगा। यह दोषियों को दण्डित किए जाने हेतु उसकी मुख्य भूमिका होगी। रैगिंग विरोधी उपायों के कार्यान्वयन में भी इसकी मुख्य भूमिका होगी।

6.4 प्रत्येक संस्था निम्नलिखित उपाय भी करे, जिनका नाम हो—

क प्रत्येक छात्रावास अथवा स्थान जहाँ छात्र रहते हैं। संस्था के उस भाग में पूर्णकालिक वार्डन हों जिसकी नियुक्ति संस्था द्वारा अर्हता के नियमानुसार की जाय जो अनुशासन बनाये रखें तथा छात्रावास में रैगिंग की घटनाओं को रोकने के साथ ही युवाओं से कक्षा के बाहर काउंसलिंग और सम्बंध बनाये रखे। वह छात्रावास में रहे या छात्रावास के अत्यन्त निकट रहे।

- ख वार्डन हर समय उपलब्ध हो। दूरभाष तथा संचार के अन्य साधनों से हर समय सम्पर्क किया जा सके। वार्डन को संस्था द्वारा मोबाइल फोन उपलब्ध कराया जाये जिसके नम्बर की जानकारी छात्रावास में रह रहे सभी छात्रों को हो।
- ग संस्था द्वारा वार्डन तथा रैगिंग रोकने से सम्बन्धित अन्य अधिकारियों के अधिकार बढ़ाने का विचार किया जा सकता है। छात्रावास में नियुक्त सुरक्षाकर्मी सीधे वार्डनों के नियंत्रण में हों तथा वार्डन द्वारा उनके कार्य का मूल्यांकन किया जाए
- घ इन विनियमों के विनियम 6.1 उपखण्ड (ओ) के अनुसार प्रवेश के समय पेशेवर काउंसिलर रखे जायें जो नये और अन्य छात्र जो अपने आने वाले जीवन की तैयारी हेतु विशेष रूप छात्रावास में रहने से सम्बन्धित काउन्सिलिंग चाहते हो उनहें काउंसिलिंग करें। ऐसे काउन्सिलिंग सत्रों से माता-पिता तथा शिक्षकों को भी जोड़ा जायें।
- ङ संस्था रैगिंग विरोधी उपायों का व्यापक काउन्सिलिंग सत्र, कार्यशाला, पेंटिंग द्वारा यह कार्य किया जा सकता है।
- च संस्था के संकाय सदस्य उसका शिक्षणेतर कर्मचारी, जो केवल प्रशासनिक पद तक सीमित नहीं है, सुरक्षा गार्डस तथा संस्था के अन्दर सेवा करनेवाले कर्मचारियों को रैगिंग तथा उसके दुष्परिणाम के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
- छ संस्था/शिक्षण एवं शिक्षणेतर प्रत्येक कर्मचारी से संविदा पर रखे गए प्रत्येक श्रमिक से चाहे वे कैंटीन के कर्मचारी हों अथवा सुरक्षा गार्ड हों या सफाई वाले कर्मचारी हों सबसे एक अनुबन्ध ले कि वे अपनी जानकारी में आनेवाले रैगिंग की घटना की जानकारी तुरन्त सक्षम अधिकारियों को देंगे।
- ज संस्था द्वारा सेवा कार्य की नियमावली में रैगिंग की सूचना देनेवाले कर्मचारियों को अनुशंसा पत्र देने का नियम बनाए तथा उसे उनके सेवा रिकॉर्ड में रखा जाए।

- झ संस्था द्वारा कैटीन और मैस के कर्मचारियों, चाहे वे संस्था के कर्मचारी हों अथवा निजी सेवा देने वाले हो को निर्देशित किया जाए कि वे अपने क्षेत्र में कड़ी नजर रखें तथा रैगिंग की कोई भी घटना होने पर उसको जानकारी तुरन्त संस्थाध्यक्ष रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों अथवा वार्डन को दें।
- ञ शिक्षा की किसी भी स्तर की उपाधि देनेवाली संस्था यह देख ले कि उसके पाठ्यक्रम में रैगिंग विरोधी कार्यों को प्रोत्साहन दिया जाए। मानव अधिकारों की रक्षा पर बल दिया जाए। विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम में रैगिंग की संवेदनशीलता पर प्रकाश डाला जाए। प्रत्येक शिक्षक काउन्सिलिंग के स्थिति से निबटने का ढंग आना चाहिए।
- ट प्रथम वर्ष नए विद्यार्थियों की ओर हर पन्द्रह दिन में गुमनाम बेतरतीब सर्वेक्षण कि जाएँ। यह देखने के लिए कि संस्था में रैगिंग नहीं हो रही है। सर्वेक्षण की रूपरेखा संस्था स्वयं निश्चित करे। संस्था द्वारा छात्र को दिए जानेवाले विश्वविद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र में छात्र के सामान्य चरित्र और व्यवहार के अतिरिक्त यह भी दिया जाए कि क्या छात्र कभी रैगिंग सम्बन्धी अपराध में संलिप्त रहा है। क्या छात्र ने कोई हिंसक अथवा दूसरे को हानि पहुँचाने वाला अपराध किया है।
- ड इन विनियमों विभिन्न अधिकारियों सदस्यों तथा समितियों के अधिकार बताए गए हैं। इसके साथ ही सभी वर्गों के अधिकारियों संकाय के सदस्यों तथा कर्मचारियों सहित चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी जो भी संस्था की सेवा कर रहा है उसका यह सामूहिक दायित्व होगा कि वह रैगिंग की घटनाओं को रोके।
- ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थाध्यक्ष अथवा अन्य संस्था का अध्यक्ष सत्र के प्रारम्भिक तीन महीने तक रैगिंग के आदेश के अनुपालन तथा रैगिंग विरोधी उपायों की जानकारी से सम्बन्धित इन विनियम के अधीन साप्ताहिक रिपोर्ट उस विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा जिसके द्वारा वह संस्था रिकॉग्नाइज की गई हैं। उसे दें।
- ढ प्रत्येक विश्वविद्यालय को कुलपति महोदय विश्वविद्यालय तथा रैगिंग की देखरेख करनेवाले सेल की रिपोर्ट प्रत्येक पन्द्रह दिन बाद राज्य स्तरीय देख रेख करने

वाले सेल को दे।

7 संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्रवाई—

- I. रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित किसी के भी द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराए अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दे। रैगिंग के अंतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं।
- II. रैगिंग हेतु उकसाना
- III. रैगिंग का आपराधिक षड्यंत्र
- IV. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना
- V. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना
- VI. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना
- VII. शरीर को चोट पहुँचाना
- VIII. गलत ढंग से रोकना
- IX. आपराधिक बल प्रयोग
- X. प्रहार करना, मौन सम्बन्धी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध
- XI. बलात् ग्रहण
- XII. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना
- XIII. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध
- XIV. आपराधिक धमकी
- XV. मुसीबत में फँसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना
- XVI. उपर्युक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना
- XVII. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना
- XVIII. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध
रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध यह भी उल्लेख किया जाता है।

संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें।

यह भी उल्लेख किया जाता कि संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्रवाई की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दे और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्रवाई पूरी कर ली जाए।

8 आयोग और परिषद के कर्तव्य एवं दायित्व

8.1 आयोग रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं की शीघ्र सूचना हेतु निम्नलिखित कार्य करेगा—

क आयोग धन निर्धारित करेगा तथा एक टॉल फ्री रैगिंग विरोधी सहायता लाइन बनाएगा जो 24 घंटे खुली रहेगी जिसका छात्र रैगिंग से सम्बन्धित घटनाओं के निवारण हेतु प्रयोग कर सकते हैं।

ख रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर प्राप्त किया गया संदेश तुरन्त संस्थाध्यक्ष, छात्रावास के वार्डन सम्बद्ध विश्वविद्यालय नोडल अधिकारी को प्रसारित किया जाएगा। सम्बद्ध जिले के अधिकारियों यदि आवश्यकता हुई तो जिला अधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी तथा वेबसाइट पर डाल दी जाएगी ताकि मीडिया तथा सामान्य जनता उसका विश्लेषण करे।

ग संस्थाध्यक्ष को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन पर मिली सूचना पर त्वरित कार्रवाई इन विनियम के उपखण्ड (बी) के अनुसार करनी होगी।

घ छात्र अथवा किसी भी व्यक्ति को रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन पर संदेश देने हेतु संस्था मोबाइल और फोन के बे-रोक-टोक प्रयोग की छात्रावास तथा परिसर, कक्षाएँ, संगोष्ठी कक्ष पुस्तकालय आदि के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति के अतिरिक्त सभी स्थानों पर प्रयोग की अनुमति देगा।

ड रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन तथा अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों संकाय के सदस्यों, रैगिंग विरोधी समिति के सदस्यों तथा रैगिंग विरोधी दल, जिले के अधिकारियों, हॉस्टल के वार्डनों तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों, फोन नम्बर

तथा पते छात्रों को उपलब्ध कराए जाएँ ताकि आकस्मिकी में वे उनका प्रयोग कर सकें।

च आयोग छात्रों तथा उसके माता-पिता/अभिभावक द्वारा दिए गए शपथ पत्रों के आधार पर आंकड़ा रखेगा। यह आंकड़ा रैगिंग की शिकायतों तथा उस पर की गई कार्रवाई के रिकार्ड के रूप में कार्य करेगा।

छ आयोग इस आंकड़े को केन्द्र सरकार द्वारा नामित एवं गैर सरकारी संघटन को उपलब्ध कराएगा। इससे आम जनता में विश्वास बढ़ेगा इन विनियम के अनुपालन न करने की सूचना भी आयोग केन्द्र सरकार द्वारा अधिकृत समितियों को उपलब्ध कराएगा।

8.2 आयोग नियम के अनुसार निम्नलिखित कदम उठाएगा—

क आयोग संस्था हेतु यह आवश्यक करेगा कि वह अपनी विवरणिका में केन्द्र सरकार के निर्देश अथवा राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग समिति के रैगिंग निषेध सम्बन्धी निर्देश और उसके परिणाम समाहित करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो यह माना जाएगा कि वे शिक्षा का स्तर गिर रहे हैं। तथा इसके लिए उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी।

ख आयोग यह प्रमाणित करेगा कि इन विनियमों के अनुसार छात्रों तथा उनके माता-पिता/अभिभावक से शपथ पत्र संस्था द्वारा प्राप्त किया जा रहा है।

ग आयोग द्वारा संस्था को दी जा रही किसी प्रकार की विशेष अथवा सामान्य किसी प्रकार की आर्थिक सहायता अथवा अनुदान के युटिलाइजेशन प्रमाण पत्र में एक शर्त यह लगाई जाएगी कि संस्था द्वारा रैगिंग निषेध सम्बन्धी विनियम एवं उपायों का अनुपालन किया जा रहा है।

घ रैगिंग की किसी भी घटना का संस्था के बैंक अथवा एन.ए.ए.सी. अथवा किसी अन्य सक्षम एजेंसी द्वारा दी जानेवाले बैंकिंग और ग्रेडिंग पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

ङ आयोग उन संस्थाओं को अतिरिक्त अनुदान दे सकता है अथवा अधिनियम खण्ड 12 बी के लिए अर्ह मान सकता है। जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी।

च जहाँ रैगिंग की घटनाएँ नहीं होंगी। आयोग रैगिंग रोकने के लिए एक इंटर

कौंसिल कमेटी बनाएगा जिसमें की भिन्न परिषदों के प्रतिनिधि होंगे। गैर सरकारी एजेंसी आयोग द्वारा रखे जा रहे आंकड़े को देखने के लिए उपखंड (जी) अधिनियम 8.1 के और इस प्रकार के निकाय उच्चतर शिक्षा में रैगिंग विरोधी उपायों को देखने तथा सहयोग देने हेतु तथा समय-समय पर संस्तुतियाँ देने हेतु और प्रत्येक वर्ष के छः महीने में इसकी कम से कम एक बैठक होगी। आयोग एक रैगिंग विरोधी सेल आयोग में बनाएगा। जो रैगिंग से सम्बन्धित सूचनाएँ एकत्र करने तथा उसपर दृष्टि रखने में सचिव की सहायता करेगा। राज्य स्तरीय दृष्टि रखने वाले सेल को ताकि रैगिंग को रोकने के उपायों पर सुचारु रूप से कार्य हो सकें। यह सेल गैर सरकारी संघटन जो रैगिंग रोकने से सम्बन्धित होंगे, को आंकड़े देख रेख में सहायता देगा। इसकी संरचना अधिनियम 8.1 के खण्ड (जी) के अधीन की जाएगी।

9 रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्रवाई—

9.1 किसी छात्र को रैगिंग का शोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि अनुसार दण्ड दिया जाएगा।

क रैगिंग विरोधी समिति उचित दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए रैगिंग विरोधी दल दण्ड हेतु अपनी संस्तुति देगा।

ख रैगिंग विरोधी समिति रैगिंग विरोधी दल द्वारा निर्धारित किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी।


- I. कक्षा में उपस्थित होने तथा शैक्षिक अधिकारियों से निलम्बन
- II छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना/वंचित करना
- III किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना
- IV. परीक्षाफल रोकना
- V. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
- VI. छात्रावास से निष्कासित करना

- VII. प्रवेश रद्द करना
- VIII. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए लिए निष्कासन करना।
- IX. संस्था से निष्कासित और परिणाम रूवरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासन करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान न हो सके संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय ले।
- ग रैगिंग विरोधी समिति द्वारा दिए गए दण्ड के विरुद्ध अपील (प्रार्थना) निम्नलिखित से की जाएगी।
- I. किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्था होने पर कुलपति से।
 - II. विश्वविद्यालय का आदेश होने पर कुलाधिपति से
 - III. संसद के अधिनियम के अनुसार निर्मित राष्ट्रीय महत्व की संस्था होने पर उसके चेयनमेन अथवा चांसलर अथवा स्थिति के अनुसार
- 9.2 यदि किसी विश्वविद्यालय के अधीन/सम्बद्ध कोई संस्था (जो उसके विधान में सम्बद्ध अथवा उसके द्वारा मान्यता प्राप्त हो) इनमें से किसी नियम विनियम के अनुपालन में असफल रहती है तथा रैगिंग को प्रभावशाली ढंग से रोकने में असफल रहता है तथा विश्वविद्यालय उस पर निम्नलिखित में से कोई एक अथवा किसी समूहकार दण्ड लगा सकता है—
- I. सम्बद्धता/रेकगजिशन या उसे दिए गए अन्य विशेष अधिकार वापस लेना
 - II. इस प्रकार की संस्था को चल रहे किसी शैक्षिक प्रोग्राम में डिग्री अथवा डिप्लोमा में भाग लेने से रोकना।
 - III. विश्वविद्यालय द्वारा उसे दिए जा रहे अनुदान को वापस लेना, यदि कोई हो।
 - IV. विश्वविद्यालय द्वारा संस्था के माध्यम से दिए जा रहे किसी अनुदान को रोकना
 - V. विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में आनेवाला कोई अन्य दण्ड
- 9.3 जहाँ नियुक्ति देने वाले अधिकारी का विचार है कि संस्था को किसी कर्मचारी द्वारा रैगिंग की सूचना देने में ढील बरती गई है। रैगिंग की सूचना देने में त्वरित कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की घटना अथवा घटनाएँ रोकने के लिए नहीं की है। इन विनियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई नहीं की है। रैगिंग की उस अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

यदि इस प्रकार की ढील संस्थाध्यक्ष के स्तर पर हुई है तो संस्थाध्यक्ष की नियुक्ति करनेवाले अधिकारी द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी।

- 9.4 कोई भी संस्था जो रैगिंग रोकने इन विनियम के अनुसार कार्रवाई नहीं करेगा अथवा दोषियों को दण्डित नहीं करता तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उसके विरुद्ध निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक कार्रवाई करेगा।
- I. अधिनियम के खण्ड 12 बी के अन्तर्गत दिए जानेवाले अनुदान को रोकना।
 - II. दिया जा रहा कोई अनुदान वापस लेना।
 - III. आयोग द्वारा दी जानेवाली सामान्य अथवा किसी विशेष आसिस्टेंस प्रोग्राम हेतु संस्था को अयोग घोषित करना।
 - IV. सामान्य जनता अभ्यर्थियों को समाचार पत्र, मीडिया, आयोग की बैबसाइट आदि द्वारा यह बताना कि संस्था में लघुतम शैक्षिक स्तर उपलब्ध नहीं है।
 - V. इसी प्रकार की अन्य कार्रवाई करना तथा इसी प्रकार से संस्था को तब तक दंडित करना जब तक कि वह रैगिंग रोकने के लक्ष्य को प्राप्त न कर ले

अयोग द्वारा किसी संस्थान के विरुद्ध इस अधिनियम के अनुसार की गई कार्रवाई में सभी समितियाँ सहयोग देंगी।


(डॉ. आर. के. चौहान) 2009
सचिव 6
17

संलग्नक 1

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री.....ने श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयत पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
 - क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
 - ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
4. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यापित.....स्थान.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्नक -II

माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र

1. मैं पिता/माता/अभिभावक
.....ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर दिन..... महीना वर्ष.....

हस्ताक्षर

नाम, पता, दूरभाष नं.

शपथ प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।।
सत्यापित.....स्थान..... दिन महीना..... वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 5th June 2009

No. N-15/13/14/8/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of Theni District
Uthamapalayam Uthamapalayam Taluk, Theni District.	Revenue Villages of Uthamapalayam (South), Uthamapalayam (North), Theni District, Rayappanpatti, Mallingapuram, Kohilapuram, Kombai (East), Kombai (West) and Hanumanthan Patti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P & D)

The 10th June 2009

No. N-15/13/14/6/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the following Areas Revenue Villages of Theni District.
Cumbum Uthamapalayam Taluk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cumbum Municipal Limits of Uthamapalayam Taluk. 2. Revenue villages of Kamayakoundantatti, Narayanathevanpatti (South), Narayanathevanpatti (North) Uthamapuram and C. Pudupatti of Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/2/2009-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the Revenue Villages of
Karaikudi Sub-Urbs Devakottai Taluk, Sivagangai	Perattukottai
District	

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/10/2/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Orissa Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1957 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Orissa namely :—

"The Revenue villages of Narendrapur, Sibapur, Kurunti, Khadaga Prasad, Tulasidiha & Nimidha Under the Tahsil of Dhenkanal in the District of Dhenkanal in the State of Orissa."

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/10/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas Comprising the following Revenue Villages of the District :—
Pudukkottai area in the District	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maravanmadam 2. Kootadunkadu 3. Allikulara 4. Kumaragiri 5. South Silukkanpatti 6. ServaikkaJamadam 7. Perurani 8. Senthilampannai

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

The 12th June 2009

No. N-15/13/14/20/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Andhra Pradesh Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1955 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Andhra Pradesh namely :—

"All the areas falling within the limits of Revenue Villages of Veljerla-I, II, III of Farooqnagar Mandal and Papireddyguda Keshampeta Mandal in Mahaboobaagar District in Andhra Pradesh".

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

No. N-15/13/14/7/2008-P&D—In pursuance of powers conferred by Section 46(2) of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), read with Regulation 95-A of the Employees' State Insurance (General) Regulations, 1950, the Director General has fixed the 1st May, 2009 as the date from which the medical benefits as laid down in the said Regulation 95-A and the Tamil Nadu Employees' State Insurance (Medical Benefit) Rules, 1954 shall be extended to the families of insured persons in the following area in the State of Tamil Nadu namely :—

Centre	Areas comprising the Revenue villages of
Chinnamanur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chinnamanur Municipal Limits of Uthamapalayam Taluk. 2. The Revenue Villages of Poolananthapuram, Karkunkatankulam, Chinnavelapuram, Muthalapuram, Markayankottai, Pulikuthi, Kutchanur, Odaipatti in Uthamapalayam Taluk of Theni District.

R. C. SHARMA
Joint Director (P&D)

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
UGC REGULATIONS ON CURBING THE MENACE OF RAGGING IN
HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS, 2009.

(under Section 26 (1)(g) of the University Grants Commission Act, 1956)

New Delhi-110002, the 17th June 2009

F.1-16/2007(CPP-II)

PREAMBLE.

In view of the directions of the Hon'ble Supreme Court in the matter of "University of Kerala v/s. Council, Principals, Colleges and others" in SLP no. 24295 of 2006 dated 16.05.2007 and that dated 8.05.2009 in Civil Appeal number 887 of 2009, and in consideration of the determination of the Central Government and the University Grants Commission to prohibit, prevent and eliminate the scourge of ragging including any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student, in all higher education institutions in the country, and thereby, to provide for the healthy development, physically and psychologically, of all students, the University Grants Commission, in consultation with the Councils, brings forth this Regulation.

In exercise of the powers conferred by Clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956, the University Grants Commission hereby makes the following Regulations, namely;

1. Title, commencement and applicability.-

1.1 These regulations shall be called the "UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009".

1.2 They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

1.3 They shall apply to all the institutions coming within the definition of an University under sub-section (f) of section (2) of the University Grants Commission Act, 1956, and to all institutions deemed to be a university under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, to all other higher educational institutions, or elements of such universities or institutions, including its departments, constituent units and all the premises, whether being academic, residential, playgrounds, canteen, or other such premises of such universities, deemed universities and higher educational institutions, whether located within the campus or outside, and to all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such universities, deemed universities and higher educational institutions.

2. Objectives.-

To prohibit any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student, or indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student or asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student, with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student; and thereby, to eliminate ragging in all its forms from universities, deemed universities and other higher educational institutions in the country by prohibiting it

under these Regulations, preventing its occurrence and punishing those who indulge in ragging as provided for in these Regulations and the appropriate law in force.

3. What constitutes Ragging.— Ragging constitutes one or more of any of the following acts:

- a. any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness a fresher or any other student;
- b. indulging in rowdy or indisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any fresher or any other student;
- c. asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such fresher or any other student;
- d. any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any other student or a fresher;
- e. exploiting the services of a fresher or any other student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students.
- f. any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a fresher or any other student by students;
- g. any act of physical abuse including all variants of it: sexual abuse, homosexual assaults, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- h. any act or abuse by spoken words, emails, post, public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to fresher or any other student ;
- i. any act that affects the mental health and self-confidence of a fresher or any other student

with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power, authority or superiority by a student over any fresher or any other student.

4. Definitions:-

- 1) In these regulations unless the context otherwise requires,-
- a) "Act" means, the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956);
 - b) "Academic year" means the period from the commencement of admission of students in any course of study in the institution up to the completion of academic requirements for that particular year.
 - c) "Anti-Ragging Helpline" means the Helpline established under clause (a) of Regulation 8.1 of these Regulations.
 - d) "Commission" means the University Grants Commission;
 - e) "Council" means a body so constituted by an Act of Parliament or an Act of any State Legislature for setting, or co-ordinating or maintaining standards in the relevant areas of higher education, such as the All India Council for Technical Education (AICTE), the Bar Council of India (BCI), the Dental Council of India (DCI), the Distance Education Council (DEC), the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), the Indian Nursing Council (INC), the Medical Council of India (MCI), the National Council for Teacher Education (NCTE), the Pharmacy Council of India (PCI), etc. and the State Higher Education Councils.
 - f) "District Level Anti-Ragging Committee" means the Committee, headed by the District Magistrate, constituted by the State Government, for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the district.
 - g) "Head of the institution" means the Vice-Chancellor in case of a university or a deemed to be university, the Principal or the Director or such other designation as the executive head of the institution or the college is referred.
 - h) "Fresher" means a student who has been admitted to an institution and who is undergoing his/her first year of study in such institution.
 - i) "Institution" means a higher educational institution including, but not limited to an university, a deemed to be university, a college, an institute, an institution of national importance set up by an Act of Parliament or a constituent unit of such institution, imparting higher education beyond 12 years of schooling leading to, but not necessarily culminating in, a degree (graduate, postgraduate and/or higher level) and/or to a university diploma.

j) "NAAC" means the National Academic and Accreditation Council established by the Commission under section 12(ccc) of the Act;

k) "State Level Monitoring Cell" means the body constituted by the State Government for the control and elimination of ragging in institutions within the jurisdiction of the State, established under a State Law or on the advice of the Central Government, as the case may be.

(2) Words and expressions used and not defined herein but defined in the Act or in the General Clauses Act, 1897, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the General Clauses Act, 1897, as the case may be.

5. Measures for prohibition of ragging at the institution level:-

a) No institution or any part of it thereof, including its elements, including, but not limited to, the departments, constituent units, colleges, centres of studies and all its premises, whether academic, residential, playgrounds, or canteen, whether located within the campus or outside, and in all means of transportation of students, whether public or private, accessed by students for the pursuit of studies in such institutions, shall permit or condone any reported incident of ragging in any form; and all institutions shall take all necessary and required measures, including but not limited to the provisions of these Regulations, to achieve the objective of eliminating ragging, within the institution or outside,

b) All institutions shall take action in accordance with these Regulations against those found guilty of ragging and/or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

6 Measures for prevention of ragging at the institution level.-

6.1 An institution shall take the following steps in regard to admission or registration of students; namely,

a) Every public declaration of intent by any institution, in any electronic, audio-visual or print or any other media, for admission of students to any course of study shall expressly provide that ragging is totally prohibited in the institution,

and anyone found guilty of ragging and/or abetting ragging, whether actively or passively, or being a part of a conspiracy to promote ragging, is liable to be punished in accordance with these Regulations as well as under the provisions of any penal law for the time being in force.

- b) The brochure of admission/instruction booklet or the prospectus, whether in print or electronic format, shall prominently print these Regulations in full.

Provided that the institution shall also draw attention to any law concerning ragging and its consequences, as may be applicable to the institution publishing such brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

Provided further that the telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in the institution, including but not limited to the Head of the institution, faculty members, members of the Anti-Ragging Committees and Anti-Ragging Squads, District and Sub-Divisional authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be published in the brochure of admission/instruction booklet or the prospectus.

- c) Where an institution is affiliated to a University and publishes a brochure of admission/instruction booklet or a prospectus, the affiliating university shall ensure that the affiliated institution shall comply with the provisions of clause (a) and clause (b) of Regulation 6.1 of these Regulations.

- d) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that he/she has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that he/she would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any

other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of such student.

- e) The application form for admission, enrolment or registration shall contain an affidavit, mandatorily in English and in Hindi and/or in one of the regional languages known to the parents/guardians of the applicant, as provided in the English language in Annexure I to these Regulations, to be filled up and signed by the parents/guardians of the applicant to the effect that he/she has read and understood the provisions of these Regulations as well as the provisions of any other law for the time being in force, and is aware of the prohibition of ragging and the punishments prescribed, both under penal laws as well as under these Regulations and also affirm to the effect that his/her ward has not been expelled and/or debarred by any institution and further aver that his/her ward would not indulge, actively or passively, in the act or abet the act of ragging and if found guilty of ragging and/or abetting ragging, his/her ward is liable to be proceeded against under these Regulations or under any penal law or any other law for the time being in force and such action would include but is not limited to debarment or expulsion of his/her ward.
- f) The application for admission shall be accompanied by a document in the form of, or annexed to, the School Leaving Certificate/Transfer Certificate/Migration Certificate/Character Certificate reporting on the inter-personal/social behavioural pattern of the applicant, to be issued by the school or institution last attended by the applicant, so that the institution can thereafter keep watch on the applicant, if admitted, whose behaviour has been commented in such document.
- g) A student seeking admission to a hostel forming part of the institution, or seeking to reside in any temporary premises not forming part of the institution, including a private commercially managed lodge or hostel, shall have to submit additional affidavits countersigned by his/her parents/guardians in the form prescribed in Annexure I and Annexure II to these Regulations respectively along with his/her application.
- h) Before the commencement of the academic session in any institution, the Head of the Institution shall convene and address a meeting of various functionaries/agencies, such as Hostel Wardens, representatives of students,

- parents/ guardians, faculty, district administration including the police, to discuss the measures to be taken to prevent ragging in the institution and steps to be taken to identify those indulging in or abetting ragging and punish them.
- i) The institution shall, to make the community at large and the students in particular aware of the dehumanizing effect of ragging, and the approach of the institution towards those indulging in ragging, prominently display posters depicting the provisions of penal law applicable to incidents of ragging, and the provisions of these Regulations and also any other law for the time being in force, and the punishments thereof, shall be prominently displayed on Notice Boards of all departments, hostels and other buildings as well as at places, where students normally gather and at places, known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
 - j) The institution shall request the media to give adequate publicity to the law prohibiting ragging and the negative aspects of ragging and the institution's resolve to ban ragging and punish those found guilty without fear or favour.
 - k) The institution shall identify, properly illuminate and keep a close watch on all locations known to be vulnerable to occurrences of ragging incidents.
 - l) The institution shall tighten security in its premises, especially at vulnerable places and intense policing by Anti-Ragging Squad, referred to in these Regulations and volunteers, if any, shall be resorted to at such points at odd hours during the first few months of the academic session.
 - m) The institution shall utilize the vacation period before the start of the new academic year to launch a publicity campaign against ragging through posters, leaflets and such other means, as may be desirable or required, to promote the objectives of these Regulations.
 - n) The faculties/departments/units of the institution shall have induction arrangements, including those which anticipate, identify and plan to meet any special needs of any specific section of students, in place well in advance of the beginning of the academic year with an aim to promote the objectives of this Regulation.
 - o) Every institution shall engage or seek the assistance of professional counsellors before the commencement of the academic session, to be available

when required by the institution, for the purposes of offering counselling to freshers and to other students after the commencement of the academic year.

- p) The head of the institution shall provide information to the local police and local authorities, the details of every privately commercially managed hostels or lodges used for residential purposes by students enrolled in the institution and the head of the institution shall also ensure that the Anti-Ragging Squad shall ensure vigil in such locations to prevent the occurrence of ragging therein.

6.2 An institution shall, on admission or enrolment or registration of students, take the following steps, namely;

- a) Every fresh student admitted to the institution shall be given a printed leaflet detailing to whom he/she has to turn to for help and guidance for various purposes including addresses and telephone numbers, so as to enable the student to contact the concerned person at any time, if and when required, of the Anti-Ragging Helpline referred to in these Regulations, Wardens, Head of the institution, all members of the anti-ragging squads and committees, relevant district and police authorities.
- b) The institution, through the leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall explain to the freshers, the arrangements made for their induction and orientation which promote efficient and effective means of integrating them fully as students with those already admitted to the institution in earlier years.
- c) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall inform the freshers about their rights as bona fide students of the institution and clearly instructing them that they should desist from doing anything, with or against their will, even if ordered to by the seniors students, and that any attempt of ragging shall be promptly reported to the Anti-ragging Squad or to the Warden or to the Head of the institution, as the case may be.
- d) The leaflet specified in clause (a) of Regulation 6.2 of these Regulations shall contain a calendar of events and activities laid down by the institution to facilitate and complement familiarization of freshers with the academic environment of the institution.

- e) The institution shall, on the arrival of senior students after the first week or after the second week, as the case may be, schedule orientation programmes as follows, namely; (i) joint sensitization programme and counselling of both freshers and senior students by a professional counsellor, referred to in clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations; (ii) joint orientation programme of freshers and seniors to be addressed by the Head of the institution and the anti-ragging committee; (iii) organization on a large scale of cultural, sports and other activities to provide a platform for the freshers and seniors to interact in the presence of faculty members; (iv) in the hostel, the warden should address all students; and may request two junior colleagues from the college faculty to assist the warden by becoming resident tutors for a temporary duration. (v) as far as possible faculty members should dine with the hostel residents in their respective hostels to instil a feeling of confidence among the freshers.
- f) The institution shall set up appropriate committees, including the course-in-charge, student advisor, Wardens and some senior students as its members, to actively monitor, promote and regulate healthy interaction between the freshers, junior students and senior students.
- g) Freshers or any other student(s), whether being victims, or witnesses, in any incident of ragging, shall be encouraged to report such occurrence, and the identity of such informants shall be protected and shall not be subject to any adverse consequence only for the reason for having reported such incidents.
- h) Each batch of freshers, on arrival at the institution, shall be divided into small groups and each such group shall be assigned to a member of the faculty, who shall interact individually with each member of the group every day for ascertaining the problems or difficulties, if any, faced by the fresher in the institution and shall extend necessary help to the fresher in overcoming the same.
- i) It shall be the responsibility of the member of the faculty assigned to the group of freshers, to coordinate with the Wardens of the hostels and to make surprise visits to the rooms in such hostels, where a member or members of the group are lodged; and such member of faculty shall maintain a diary of his/her interaction with the freshers under his/her charge.

- 39
- j) Freshers shall be lodged, as far as may be, in a separate hostel block, and where such facilities are not available, the institution shall ensure that access of seniors to accommodation allotted to freshers is strictly monitored by wardens, security guards and other staff of the institution.
 - k) A round the clock vigil against ragging in the hostel premises, in order to prevent ragging in the hostels after the classes are over, shall be ensured by the institution.
 - l) It shall be the responsibility of the parents/guardians of freshers to promptly bring any instance of ragging to the notice of the Head of the Institution.
 - m) Every student studying in the institution and his/her parents/guardians shall provide the specific affidavits required under clauses (d), (e) and (g) of Regulation 6.1 of these Regulations at the time of admission or registration, as the case may be, during each academic year.
 - n) Every institution shall obtain the affidavit from every student as referred to above in clause (m) of Regulation 6.2 and maintain a proper record of the same and to ensure its safe upkeep thereof, including maintaining the copies of the affidavit in an electronic form, to be accessed easily when required either by the Commission or any of the Councils or by the institution or by the affiliating University or by any other person or organisation authorised to do so.
 - o) Every student at the time of his/her registration shall inform the institution about his/her place of residence while pursuing the course of study, and in case the student has not decided his/her place of residence or intends to change the same, the details of his place of residence shall be provided immediately on deciding the same; and specifically in regard to a private commercially managed lodge or hostel where he/she has taken up residence.
 - p) The Head of the institution shall, on the basis of the information provided by the student under clause (c) of Regulation 6.2, apportion sectors to be assigned to members of the faculty, so that such member of faculty can maintain vigil and report any incident of ragging outside the campus or en route while commuting to the institution using any means of transportation of students, whether public or private.

- q) The Head of the institution shall, at the end of each academic year, send a letter to the parents/guardians of the students who are completing their first year in the institution, informing them about these Regulations and any law for the time being in force prohibiting ragging and the punishments thereof as well as punishments prescribed under the penal laws, and appealing to them to impress upon their wards to desist from indulging in ragging on their return to the institution at the beginning of the academic session next.

6.3 Every institution shall constitute the following bodies; namely,

- a) Every institution shall constitute a Committee to be known as the Anti-Ragging Committee to be nominated and headed by the Head of the institution, and consisting of representatives of civil and police administration, local media, Non Government Organizations involved in youth activities, representatives of faculty members, representatives of parents, representatives of students belonging to the freshers' category as well as senior students, non-teaching staff; and shall have a diverse mix of membership in terms of levels as well as gender.
- b) It shall be the duty of the Anti-Ragging Committee to ensure compliance with the provisions of these Regulations as well as the provisions of any law for the time being in force concerning ragging; and also to monitor and oversee the performance of the Anti-Ragging Squad in prevention of ragging in the institution.
- c) Every institution shall also constitute a smaller body to be known as the Anti-Ragging Squad to be nominated by the Head of the Institution with such representation as may be considered necessary for maintaining vigil, oversight and patrolling functions and shall remain mobile, alert and active at all times.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall have representation of various members of the campus community and shall have no outside representation.

- d) It shall be the duty of the Anti-Ragging Squad to be called upon to make surprise raids on hostels, and other places vulnerable to incidents of, and having the potential of, ragging and shall be empowered to inspect such places.
- e) It shall also be the duty of the Anti-Ragging Squad to conduct an on-the-spot enquiry into any incident of ragging referred to it by the Head of the institution

or any member of the faculty or any member of the staff or any student or any parent or guardian or any employee of a service provider or by any other person, as the case may be; and the enquiry report along with recommendations shall be submitted to the Anti-Ragging Committee for action under clause (a) of Regulation 9.1.

Provided that the Anti-Ragging Squad shall conduct such enquiry observing a fair and transparent procedure and the principles of natural justice and after giving adequate opportunity to the student or students accused of ragging and other witnesses to place before it the facts, documents and views concerning the incident of ragging, and considering such other relevant information as may be required.

- f) Every institution shall, at the end of each academic year, in order to promote the objectives of these Regulations, constitute a Mentoring Cell consisting of students volunteering to be Mentors for freshers, in the succeeding academic year; and there shall be as many levels or tiers of Mentors as the number of batches in the institution, at the rate of one Mentor for six freshers and one Mentor of a higher level for six Mentors of the lower level.
- g) Every University shall constitute a body to be known as Monitoring Cell on Ragging, which shall coordinate with the affiliated colleges and institutions under the domain of the University to achieve the objectives of these Regulations; and the Monitoring Cell shall call for reports from the Heads of institutions in regard to the activities of the Anti-Ragging Committees, Anti - Ragging Squads, and the Mentoring Cells at the institutions, and it shall also keep itself abreast of the decisions of the District level Anti-Ragging Committee headed by the District Magistrate.
- h) The Monitoring Cell shall also review the efforts made by institutions to publicize anti-ragging measures, soliciting of affidavits from parents/guardians and from students, each academic year, to abstain from ragging activities or willingness to be penalized for violations; and shall function as the prime mover for initiating action, on the part of the appropriate authorities of the university for amending the Statutes or Ordinances or Bye-laws to facilitate the implementation of anti-ragging measures at the level of the institution.

- 6.4 Every institution shall take the following other measures, namely;
- a) Each hostel or a place where groups of students reside, forming part of the institution, shall have a full-time Warden, to be appointed by the institution as per the eligibility criteria laid down for the post reflecting both the command and control aspects of maintaining discipline and preventing incidents of ragging within the hostel, as well as the softer skills of counselling and communicating with the youth outside the class-room situation; and who shall reside within the hostel, or at the very least, in the close vicinity thereof.
 - b) The Warden shall be accessible at all hours and be available on telephone and other modes of communication, and for the purpose the Warden shall be provided with a mobile phone by the institution, the number of which shall be publicised among all students residing in the hostel.
 - c) The institution shall review and suitably enhance the powers of Wardens; and the security personnel posted in hostels shall be under the direct control of the Warden and their performance shall be assessed by them.
 - d) The professional counsellors referred to under clause (o) of Regulation 6.1 of these Regulations shall, at the time of admission, counsel freshers and/or any other student(s) desiring counselling, in order to prepare them for the life ahead, particularly in regard to the life in hostels and to the extent possible, also involve parents and teachers in the counselling sessions.
 - e) The institution shall undertake measures for extensive publicity against ragging by means of audio-visual aids, counselling sessions, workshops, painting and design competitions among students and such other measures, as it may deem fit.
 - f) In order to enable a student or any person to communicate with the Anti-Ragging Helpline, every institution shall permit unrestricted access to mobile phones and public phones in hostels and campuses, other than in class-rooms, seminar halls, library, and in such other places that the institution may deem it necessary to restrict the use of phones.
 - g) The faculty of the institution and its non-teaching staff, which includes but is not limited to the administrative staff, contract employees, security guards

and employees of service providers providing services within the institution, shall be sensitized towards the ills of ragging, its prevention and the consequences thereof.

h) The institution shall obtain an undertaking from every employee of the institution including all teaching and non-teaching members of staff, contract labour employed in the premises either for running canteen or as watch and ward staff or for cleaning or maintenance of the buildings/lawns and employees of service providers providing services within the institution, that he/she would report promptly any case of ragging which comes to his/her notice.

i) The institution shall make a provision in the service rules of its employees for issuing certificates of appreciation to such members of the staff who report incidents of ragging, which will form part of their service record.

j) The institution shall give necessary instructions to the employees of the canteens and messing, whether that of the institution or that of a service provider providing this service, or their employers, as the case may be, to keep a strict vigil in the area of their work and to report the incidents of ragging to the Head of the institution or members of the Anti-Ragging Squad or members of the Anti-Ragging Committee or the Wardens, as may be required.

k) All Universities awarding a degree in education at any level, shall be required to ensure that institutions imparting instruction in such courses or conducting training programme for teachers include inputs relating to anti-ragging and the appreciation of the relevant human rights, as well as inputs on topics regarding sensitization against corporal punishments and checking of bullying amongst students, so that every teacher is equipped to handle at least the rudiments of the counselling approach.

l) Discreet random surveys shall be conducted amongst the freshers every fortnight during the first three months of the academic year to verify and cross-check whether the institution is indeed free of ragging or not and for the purpose the institution may design its own methodology of conducting such surveys.

m) The institution shall cause to have an entry, apart from those relating to general conduct and behaviour, made in the Migration/Transfer Certificate issued to the student while leaving the institution, as to whether the student has been

punished for committing or abetting an act of ragging, as also whether the student has displayed persistent violent or aggressive behaviour or any inclination to harm others, during his course of study in the institution.

n) Notwithstanding anything contained in these Regulations with regard to obligations and responsibilities pertaining to the authorities or members of bodies prescribed above, it shall be the general collective responsibility of all levels and sections of authorities or functionaries including members of the faculty and employees of the institution, whether regular or temporary, and employees of service providers providing service within the institution, to prevent or to act promptly against the occurrence of ragging or any incident of ragging which comes to their notice.

o) The Heads of institutions affiliated to a University or a constituent of the University, as the case may be, shall, during the first three months of an academic year, submit a weekly report on the status of compliance with Anti-Ragging measures under these Regulations, and a monthly report on such status thereafter, to the Vice-Chancellor of the University to which the institution is affiliated to or recognized by.

p) The Vice Chancellor of each University, shall submit fortnightly reports of the University, including those of the Monitoring Cell on Ragging in case of an affiliating university, to the State Level Monitoring Cell.

7. Action to be taken by the Head of the institution.- On receipt of the recommendation of the Anti Ragging Squad or on receipt of any information concerning any reported incident of ragging, the Head of institution shall immediately determine if a case under the penal laws is made out and if so, either on his own or through a member of the Anti-Ragging Committee authorised by him in this behalf, proceed to file a First Information Report (FIR), within twenty four hours of receipt of such information or recommendation, with the police and local authorities, under the appropriate penal provisions relating to one or more of the following, namely;

- i. Abetment to ragging;
- ii. Criminal conspiracy to rag;
- iii. Unlawful assembly and rioting while ragging;

- iv. Public nuisance created during ragging;
- v. Violation of decency and morals through ragging;
- vi. Injury to body, causing hurt or grievous hurt;
- vii. Wrongful restraint;
- viii. Wrongful confinement;
- ix. Use of criminal force;
- x. Assault as well as sexual offences or unnatural offences;
- xi. Extortion;
- xii. Criminal trespass;
- xiii. Offences against property;
- xiv. Criminal intimidation;
- xv. Attempts to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvi. Threat to commit any or all of the above mentioned offences against the victim(s);
- xvii. Physical or psychological humiliation;
- xviii. All other offences following from the definition of "Ragging".

Provided that the Head of the institution shall forthwith report the occurrence of the incident of ragging to the District Level Anti-Ragging Committee and the Nodal officer of the affiliating University, if the Institution is an affiliated institution.

Provided further that the institution shall also continue with its own enquiry initiated under clause 9 of these Regulations and other measures without waiting for action on the part of the police/local authorities and such remedial action shall be initiated and completed immediately and in no case later than a period of seven days of the reported occurrence of the incident of ragging.

8. Duties and Responsibilities of the Commission and the Councils.-

8.1 The Commission shall, with regard to providing facilitating communication of information regarding incidents of ragging in any institution, take the following steps, namely;

- a) The Commission shall establish, fund and operate, a toll-free Anti-Ragging Helpline, operational round the clock, which could be accessed by students in distress owing to ragging related incidents.
- b) Any distress message received at the Anti-Ragging Helpline shall be simultaneously relayed to the Head of the Institution, the Warden of the Hostels, the Nodal Officer of the affiliating University, if the incident reported has taken place in an institution affiliated to a University, the concerned District authorities and if so required, the District Magistrate, and the Superintendent of Police, and shall also be web enabled so as to be in the public domain simultaneously for the media and citizens to access it.
- c) The Head of the Institution shall be obliged to act immediately in response to the information received from the Anti-Ragging Helpline as at sub-clause (b) of this clause.
- d) The telephone numbers of the Anti-Ragging Helpline and all the important functionaries in every institution, Heads of institutions, faculty members, members of the anti-ragging committees and anti ragging squads, district and sub-divisional authorities and state authorities, Wardens of hostels, and other functionaries or authorities where relevant, shall be widely disseminated for access or to seek help in emergencies.
- e) The Commission shall maintain an appropriate data base to be created out of affidavits, affirmed by each student and his/her parents/guardians and stored electronically by the institution, either on its or through an agency to be designated by it; and such database shall also function as a record of ragging complaints received, and the status of the action taken thereon.
- f) The Commission shall make available the database to a non-governmental agency to be nominated by the Central Government, to build confidence in the public and also to provide information of non compliance with these Regulations to the Councils and to such bodies as may be authorised by the Commission or by the Central Government.

8.2 The Commission shall take the following regulatory steps, namely;

- a) The Commission shall make it mandatory for the institutions to incorporate in their prospectus, the directions of the Central Government or the State Level Monitoring Committee with regard to prohibition and consequences of ragging, and that non-compliance with these Regulations and directions so provided, shall be considered as lowering of academic standards by the institution, therefore making it liable for appropriate action.
- b) The Commission shall verify that the institutions strictly comply with the requirement of getting the affidavits from the students and their parents/guardians as envisaged under these Regulations.
- c) The Commission shall include a specific condition in the Utilization Certificate, in respect of any financial assistance or grants-in-aid to any institution under any of the general or special schemes of the Commission, that the institution has complied with the anti-ragging measures.
- d) Any incident of ragging in an institution shall adversely affect its accreditation, ranking or grading by NAAC or by any other authorised accreditation agencies while assessing the institution for accreditation, ranking or grading purposes.
- e) The Commission may accord priority in financial grants-in-aid to those institutions, otherwise eligible to receive grants under section 12B of the Act, which report a blemishless record in terms of there being no reported incident of ragging.
- f) The Commission shall constitute an Inter-Council Committee, consisting of representatives of the various Councils, the Non-Governmental agency responsible for monitoring the database maintained by the Commission under clause (g) of Regulation 8.1 and such other bodies in higher education, to coordinate and monitor the anti-ragging measures in institutions across the country and to make recommendations from time to time; and shall meet at least once in six months each year.
- g) The Commission shall institute an Anti-Ragging Cell within the Commission as an institutional mechanism to provide secretarial support for collection of information and monitoring, and to coordinate with the State Level Monitoring Cell and University level Committees for effective implementation of anti-ragging measures, and the Cell shall also coordinate with the Non-Governmental agency

responsible for monitoring the database maintained by the Commission appointed under clause (g) of Regulation 8.1.

9. Administrative action in the event of ragging.-

9.1 The institution shall punish a student found guilty of ragging after following the procedure and in the manner prescribed hereinunder:

- a) The Anti-Ragging Committee of the institution shall take an appropriate decision, in regard to punishment or otherwise, depending on the facts of each incident of ragging and nature and gravity of the incident of ragging established in the recommendations of the Anti-Ragging Squad.
- b) The Anti-Ragging Committee may, depending on the nature and gravity of the guilt established by the Anti-Ragging Squad, award, to those found guilty, one or more of the following punishments, namely;
 - i. Suspension from attending classes and academic privileges.
 - ii. Withholding/ withdrawing scholarship/ fellowship and other benefits.
 - iii. Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
 - iv. Withholding results.
 - v. Debarring from representing the institution in any regional, national or international meet, tournament, youth festival, etc.
 - vi. Suspension/ expulsion from the hostel.
 - vii. Cancellation of admission.
 - viii. Rustication from the institution for period ranging from one to four semesters.
 - ix. Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

Provided that where the persons committing or abetting the act of ragging are not identified, the institution shall resort to collective punishment.

- c) An appeal against the order of punishment by the Anti-Ragging Committee shall lie,
 - i. in case of an order of an institution, affiliated to or constituent part, of a University, to the Vice-Chancellor of the University;

- ii. In case of an order of a University, to its Chancellor.
- iii. In case of an institution of national importance created by an Act of Parliament, to the Chairman or Chancellor of the institution, as the case may be.

9.2 Where an institution, being constituent of, affiliated to or recognized by a University, fails to comply with any of the provisions of these Regulations or fails to curb ragging effectively, such University may take any one or more of the following actions, namely;

- i. Withdrawal of affiliation/recognition or other privileges conferred.
- ii. Prohibiting such institution from presenting any student or students then undergoing any programme of study therein for the award of any degree/diploma of the University.

Provided that where an institution is prohibited from presenting its student or students, the Commission shall make suitable arrangements for the other students so as to ensure that such students are able to pursue their academic studies.

- iii. Withholding grants allocated to it by the university, if any
- iv. Withholding any grants channelised through the university to the institution.
- v. Any other appropriate penalty within the powers of the university.

9.3 Where in the opinion of the appointing authority, a lapse is attributable to any member of the faculty or staff of the institution, in the matter of reporting or taking prompt action to prevent an incident of ragging or who display an apathetic or insensitive attitude towards complaints of ragging, or who fail to take timely steps, whether required under these Regulations or otherwise, to prevent an incident or incidents of ragging, then such authority shall initiate departmental disciplinary action, in accordance with the prescribed procedure of the institution, against such member of the faculty or staff.

Provided that where such lapse is attributable to the Head of the institution, the authority designated to appoint such Head shall take such departmental disciplinary

action; and such action shall be without prejudice to any action that may be taken under the penal laws for abetment of ragging for failure to take timely steps in the prevention of ragging or punishing any student found guilty of ragging.

9.4 The Commission shall, in respect of any institution that fails to take adequate steps to prevent ragging or fails to act in accordance with these Regulations or fails to punish perpetrators or incidents of ragging suitably, take one or more of the following measures, namely;

- i. Withdrawal of declaration of fitness to receive grants under section 12B of the Act.
- ii. Withholding any grant allocated.
- iii. Declaring the institution ineligible for consideration for any assistance under any of the general or special assistance programmes of the Commission.
- iv. Informing the general public, including potential candidates for admission, through a notice displayed prominently in the newspapers or other suitable media and posted on the website of the Commission, declaring that the institution does not possess the minimum academic standards.
- v. Taking such other action within its powers as it may deem fit and impose such other penalties as may be provided in the Act for such duration of time as the institution complies with the provisions of these Regulations.

Provided that the action taken under this clause by the Commission against any institution shall be shared with all Councils.


(Dr. R.K. Chauhan)
Secretary

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (*full name of parent/guardian*) father/mother/guardian of _____ (*full name of student with admission/registration/enrolment number*) _____, having been admitted to _____ (*name of the institution*), have received a copy of the UGC

Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

4) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this ____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month), (year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

University Grants Commission

No. F. 15-3/2012 (ARC)

8 October, 2012

In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956) the University Grants Commission here by makes the following regulations, namely:-

- (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (Amendment) Regulations, 2012."
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in regulation 1, in sub-regulation 1.1, for the letters and words "UGC Regulations on curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions", the words "Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions Regulations" shall be substituted.
3. In the principal regulations, in regulation 8,
- (a) In sub-regulation 8.1, in clause (f), for the words "Central Government", the words "University Grants Commission" shall be substituted;
 - (b) In sub-regulation 8.2, in clause (f), for the words, brackets, letter and figures "clause (g) of regulation 8.1", the words, brackets, letter and figures "clause (f) of Regulation 8.1" shall be substituted.

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

(N. Adil Kazmi)
Secretary

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

दिनांक 8 अक्टूबर 2012

मि.सं. 15-3/2012 (ए.आर.सी.)--

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (3,1956) की धारा 26 के खण्ड (जी) की उपधारा (1) के निष्पादन के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निम्न विनियम का सृजन किया जाता है:-

(1) इन विनियम को "उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम को नियंत्रित करने वाले विनियम (संशोधित), 2012" के नाम से जाना जाएगा।

(2) ये समस्त विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ही लागू माने जाएंगे।

2. "उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी विनियम" - इन शब्दों को निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाएगा- "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2009 जो कि उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण हेतु आयोग द्वारा निर्मित किए गए हैं (भविष्य में जो मुख्य विनियमों के रूप में जाने जाएंगे जो कि विनियम 1, के उप विनियम 1.1 के अन्तर्गत - "उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी विनियम", प्रयुक्त किये जाएंगे)

3. मुख्य विनियमों में विनियम 8 के अन्तर्गत जिन्हें सम्मिलित किया गया है:


(क) उप विनियम 8.1, खण्ड (एफ) में व्यक्त शब्दों को "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप विनियम 8.2 खण्ड (एफ) में प्रयुक्त शब्दों, कोष्ठकों, वर्णों एवं संख्याओं के स्थान पर "विनियम 8.1, खण्ड (जी)" के अन्तर्गत शब्द, कोष्ठक, वर्ण एवं संख्याएँ जो प्रयुक्त की गई हैं उन्हें "विनियम 8.1 के खण्ड (एफ)" के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

टिप्पणी:

मुख्य विनियम, भारत के राजपत्र, अधिनियम संख्या 27 दिनांक 04.07.2009 में प्रकाशित किये गए थे।

(एन. आदिल काजमी)
सचिव



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 29, 2014/ चैत्र 8, 1936

No. 101]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 29, 2014/CHAITRA 8, 1936

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 दिसम्बर, 2013

मि.सं. 15-3/2013 (ए.आर.सी.) पार्ट-III.—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, (1956) (3-1956) की धारा (ग) के उप-अनुच्छेद (I) के अनुच्छेद 28 में प्रदत्त अधिकारों के क्रियान्वयन के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्वारा निम्न विनियम सृजन करता है, नामतः :-

- (1) यह विनियम "उच्चतर शैक्षिक संस्थानों" में रैगिंग के जोखिम के निराकरण (द्वितीय संशोधन) विनियम 2013 कहलायेंगे।
- (2) इन विनियमों के अनुलग्नकों-I एवं II के अंतर्गत रैगिंग के जोखिम पर नियंत्रण के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (जो आगे से प्रमुख विनियम के रूप में जाने जाएँगे) इनमें सम्मिलित निम्न वाक्यों का विलोपन किया जाएगा:-

"सत्यनिष्ठापूर्वक पुष्टि की गई एवं इस पत्र की विषयवस्तु को पढ़कर इस (दिन) (माह)..... (वर्ष) को मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षरित किया गया।

शपथ आयुक्त'

उपमन्यु बसु, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./113/13]

पाद टिप्पणी:- प्रमुख विनियमों को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 27 दिनांक 07.07.2009 में प्रकाशित किया गया था।

अनुलग्नक—I

छात्र का आरवासन

1. मैं (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/..... श्री/श्रीमती/सुश्री जिसे में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।
2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलित हैं।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरुद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आरवासन देता/देती हूँ कि.....
 - (क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।
 - (ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. मैं, एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरुद्ध की जा सकती है।
6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको बढ़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से बाधित किया है—और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया दिन..... माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयर्थाथ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष.....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
नाम:

माता-पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री (माता-पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता-माता/अभिभावक, जिसके छात्र को (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।
2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस ज्ञात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।
3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।
4. मैं एतद्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि.....
(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।
(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।
5. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा-तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरुद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।
6. एतद्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

पता:

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अर्थार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) दिन माह वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

**UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th December, 2013

No. F. 15-3/2013 (ARC) Pt. III.—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely:-

- (1) These regulations may be called the "curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions (second Amendment) Regulations, 2013".
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter referred to as the Principal regulations), in the Annexure-I and II of the regulations, the sentences containing the following shall be deleted:

"Solemnly affirmed and signed in my presence on this (day) of (month), (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER"

UPAMANYU BASU, Secy.

[ADVT. III/4/Exty./113/13]

Foot Note: The principal Regulations were published in the Gazette of India, vide notification number 27 dated 04.07.2009.

ANNEXURE-I

UNDERTAKING BY THE STUDENT

I, (full name of student with admission/registration/enrolment number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. , having been admitted to (name of the institution), have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
 - (a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
 - (b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.
- (6) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent
Name:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at _____ (place) on this the _____ (day) of _____ (month), _____ (year).

Signature of deponent
Name:

ANNEXURE-II

UNDERTAKING BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. _____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of, (full name of student with admission / registration/enrolment number) _____, having been admitted to _____ (name of the Institution) _____, have received a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations."

- (2) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.
- (3) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.
- (4) I hereby solemnly aver and undertake that
- (a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.
- (5) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

1431 G/14-2

- (6) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

Declared this _____ day of _____ month of _____ year.

Signature of deponent

Name:

Address:

Telephone/Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this undertaking are true to the best of my knowledge and no part of the undertaking is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (Place) on this the (day) of (month) (year).

Signature of deponent

Name:


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 29, 2016/आषाढ़ 8, 1938

No. 269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 29, 2016/ASHADHA 8, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2016

सं. फा. 1-15/2009(ए.आर.सी.).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (3 का 1956) के अनुच्छेद 26 के उप-अनुच्छेद (1) की धारा (जी) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के निष्पादन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग निम्न विनियमों का सृजन करता है :—

- (1) ये विनियम "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध विनियम, 2016 (तृतीय संशोधन)" के नाम से जाने जाएं।
- (2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जाएं।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियम, "उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग अपराध निषेध, 2009" (इसके उपरान्त प्रमुख विनियमों के सन्दर्भ में) के पैरा 3 के उप शीर्षक "रैगिंग कैसे होती है" 3(झ) के बाद निम्नलिखित को जोड़ा जाए :—

3(अ). किसी भी छात्र को (नवीन प्रविष्ट या अन्यथा) लक्षित करके रंग, प्रजाति, धर्म, जाति, जातिमूल, लिंग (उभय लैंगिकों सहित) लैंगिक प्रवृत्ति, बाह्य स्वरूप, राष्ट्रियता, क्षेत्रीयमूल, भाषा वैशिष्ट्य, जन्म, निवास स्थान या आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर शारीरिक अथवा मानसिक प्रताड़ना (दबंगई एवं बहिष्करण) का कृत्य।

प्रोफेसर जसपाल एस. सन्धू, सचिव (यूजीसी)

[विज्ञापन III/4/असा./149/(113)]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION**NOTIFICATION**

New Delhi, the 29th June, 2016

No. F. 1-15-/2009 (ARC).—In exercise of powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the University Grants Commission hereby makes the following regulations namely:—

- (1) These regulations may be called “Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions (third amendment), Regulations, 2016.”
 - (2) They shall come into force on the date of their publications in the Official Gazette.
2. In UGC Regulations on Curbing the menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (herein-after referred to as the Principal regulations), in Para 3 the following shall be added after 3(i) under heading what constitutes Ragging.—
- 3(j). Any act of physical or mental abuse (including bullying and exclusion) targeted at another student (fresher or otherwise) on the ground of colour, race, religion, caste, ethnicity, gender (including transgender), sexual orientation, appearance, nationality, regional origins, linguistic identity, place of birth, place of residence or economic background.

Prof. JASPAL S. SANDHU, Secy. (UGC)

[ADVT. III/4/Exty./149/(113)]